

प्रेषक,

प्रवीर कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- निदेशक, स्थानीय निकाय, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) लखनऊ।
- 3- नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उ०प्र०।
- 4- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 5- निदेशक, सी०एण्ड डी०एस०, उ०प्र० जल निगम, लखनऊ।
- 6- महाप्रबन्धक, समस्त जलकल विभाग, नगर निगम, उ०प्र०/ जल संस्थान, झाँसी, चित्रकूटधाम मण्डल, कर्वी-बांदा।
- 7- अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद्/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक: ०१ अक्टूबर, 2012

विषय: नगर विकास विभाग के अन्तर्गत ड्रेनेज से संबंधित कार्यों को स्थानीय नागर निकायों तथा सी.एण्ड डी.एस., उ०प्र० जल निगम के माध्यम से कराये जाने हेतु मानक का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1981/नौ-05-2005-70सा/04 दिनांक 20 जून, 2005 तथा शासनादेश संख्या-7092/नौ-5-2010-111बजट/2010, दिनांक 04.11.2010 के क्रम में शासनादेश संख्या-1341/नौ-5-2012-111बजट/2010, दिनांक 30.05.2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज के कार्य संबंधित स्थानीय नागर निकायों द्वारा तथा ₹ 5.00 लाख से अधिक लागत के ड्रेनेज संबंधित कार्य सी. एण्ड डी.एस., उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

2- उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि सन्दर्भित शासनादेश संख्या-1341/नौ-5-2012 दिनांक 30.05.2012 में सम्यक् विचारोपरान्त संशोधन करते हुए नगर विकास विभाग के अन्तर्गत कराये जाने वाले ड्रेनेज से संबंधित कार्यों के सन्दर्भ में निम्नवत् मानक निर्धारित किया गया है-

- (क) नगर निगम- नगर निगमों द्वारा ₹ 50.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराए जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (ख) नगर पालिका परिषद्- नगर पालिका परिषद्दों द्वारा ₹ 25.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।
- (ग) नगर पंचायत- नगर पंचायतों द्वारा ₹ 5.00 लाख तक के ड्रेनेज संबंधी कार्य कराये जायेंगे तथा इससे अधिक के ड्रेनेज संबंधी कार्य सीएण्डडीएस, उ०प्र० जल निगम द्वारा कराये जायेंगे।

3- ड्रेनेज संबंधित कार्यों के संबंध में उपर्युक्त व्यवस्था निर्माणाधीन कार्यों/परियोजनाओं के सन्दर्भ में प्रभावी नहीं होगी तथा इसे तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा।

4- अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। पेयजल तथा सीवरेज से संबंधित कार्यों के संबंध में शासनादेश संख्या-1981/नौ-5-2005- 70सा/04 दिनांक 20.06.2005 में दी गई व्यवस्था यथावत् रहेगी।

भवदीय,

(प्रवीर कुमार)

प्रमुख सचिव।

संख्या-3788(1)/नौ-5-2012, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

- 1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 2- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र०।
- 3- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र०।
- 4- नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल
- 5- कम्प्यूटर सेल (वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु)
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)

विशेष सचिव।